उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-12/2024/आडिट-1-106/दस-2024-320(1)/2024
लखनऊ ; दिनांक : 28 जून, 2024

विज्ञप्ति/तैनाती

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री अंकित शर्मा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को, शासन के कार्यालय आदेश संख्या-आडिट-1-90/दस-2024-315(2)/15, दिनांक 10-06-2024 द्वारा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा (वेतन बैण्ड-15,600-39,100 ग्रेड पे 6600, मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पंदोन्नत, बरेली मण्डल के रिक्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा के पद पर एतद्द्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है।

2. श्री अंकित शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि अपने पदस्थापन/तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक। ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।